

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि- अनुभाग)
दिनांक: देहरादून: ०५ जनवरी, 2010

समस्त डिप्टी कमिशनर(कोनिओ)वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिशनर,वाणिज्य कर।
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी

शासन द्वारा अधिसूचना सं0-01/2010/19(120)/XXVII(8)/2009/ दिनांक 01 जनवरी, 2010 जारी करते हुये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम-2005 की "अनुसूची-॥(ख) में क्रमांक 139 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्- "140. घी (देशी)" में संशोधन करते हुये अवगत कराया गया है।

शासन द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न करते हुये इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासन के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करना/ करवाना सुनिश्चित करें।

संगलन-उपरोक्तानुसार।

(एल०एम०पन्त्त)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड।

पृष्ठा ५२७
पृष्ठा ०००३० / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्ड्रानगर, देहरादून।
3. अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
4. एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर।
5. एडिशनल कमिशनर(आडिट/प्रवर्तन)वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
6. समस्त ज्वाइंट कमिशनर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. ज्वाइंट कमिशनर(अपील)वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
8. ज्वाइंट कमिशनर(विधि-अनुभाग/प्रवर्तन)वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इसी आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10. श्री राकेश वर्मा, महासचिव उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ 225 आर्शीवाद इल्कलैव देहरादून।
11. पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल एन०आई०सी०, 4 सुभाष रोड देहरादून।
12. संख्या-अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
13. इन्टरवैट ईन्फो प्राइली०४, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर०सिधुआ मार्ग मुख्य-400001।
14. नेशनल लॉ हाउस बी-२ मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अंडेडकर रोड, गाजियाबाद।
15. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-१५/५ राजनगर गाजियाबाद।
16. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्टर कम्पाउण्ड राजनगर, गाजियाबाद।

17. डिप्टी कमिशनर(उच्च न्यायोकाये)वाणिज्य कर, नैनीताल।
18. अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
19. दी होलसेल डीलर्स एसो 14,आदत बाजार देहरादून।
20. प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो 222/5 गैंधी ग्राम, देहरादून।
21. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड काइल हेतु।
- 22-विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

4/1/04
आयुक्ता कर,
उत्तराखण्ड।

✓

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
सं0 /2010/19(120)/XXVII(8)/2009
दिनांक:: देहरादून :: ०/ जनवरी, 2010

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

अनुसूची-II(ख) में क्रमांक 139 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी; अर्थात्—

"140. धी (देशी)"

(राधा रत्नडी)
सचिव, वित्त।

सं0 ०/ /2010/19(120)/XXVII(8)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १—आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- २—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ३—गार्ड फाइल हेतु/ एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(Signature)
(सी0एस0सेमवाल)

अपर सचिव, वित्त।

१०१६
११-१०

अनुभाग
आयुक्त कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड देशी घी
DT/ New Vigyapti/ Desi Ghee

New

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification NO. ०१ / २०१० /१९(१२०)/XXVII(८)/२००९ dated ०१ January, २०१० for general information.

**Uttarakhand Shasan
VITTA ANUBHAG-८
NO. ०१ / २०१० /१९(१२०)/XXVII(८)/२००९
Dehradun :: Dated: : ०१ January, २०१०**

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Schedule-II (B) of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005.

Amendment

In Schedule-II (B), after the existing entry at serial no. 139, the following entry shall be added; namely-

"140. Ghee(Desi)."

(RADHA RATURI)
SECRETARY, FINANCE.